सार्वजनिक व्यय के धर्मसूत्र :-

(Canons of expenditure)

कर-प्रणाली के धर्मसूत्रों की भाँति अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय के धर्मसूत्रों की भी संरचना की है जिनके आधार पर सरकार से अपने व्यय-निर्णय तय करने की अपेक्षा की जाती है। ये सूत्र सार्वजनिक साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा कानूनी औचित्य दर्शाते हैं। इनमें कुछ का आशय यह है कि सभी व्यय प्रशासनिक पद्धति के अनुसार होने चाहिए तथा कुछ अन्य सूत्रों का आशय यह है कि इनसे समाज के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलनी चाहिए। वैसे यह स्मरणीय है कि इन सूत्रों की उपयोगिता सामान्य पथ-सूचकों से अधिक नहीं होती क्योंकि व्यावहारिक स्तर पर एक विस्तृत कार्यक्रम की संरचना वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप ही की जा सकती है –

1. मितव्ययिता का सूत्र (Canon of Economy) – प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों की कमी रहती है। अतः सार्वजनिक व्यय द्वारा किसी प्रकार का भी साधन अपव्यय अस्वीकार्य होना चाहिए। प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि अपनी कार्य-क्षमता और उत्पादिता में कमी किए बिना अपनी गतिविधियों पर साधन व्यय को न्यूनतम करने का प्रयास करे। ध्यानयोग्य है कि कालांतर में सरकार के कार्यकलापों में फैलाव की प्रवृत्ति होने के कारण मितव्ययिता पर ध्यान देना और भी आवश्यक हो जाता है। परंतु गतिविधियों के इसी फैलाव के कारण लोक व्यय में अपव्यय के अंश का अनुमान लगाने की कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए विचारकों ने सार्वजनिक व्यय के कई वर्गीकरणों के सुझाव दिए हैं तथा साथ ही सरकारी गतिविधियों की निष्पादन-परख की कई कसौटियाँ (tests of performance) भी निर्मित की हैं।

सार्वजनिक साधनों के अपव्यय के मुख्य कारणों में सर्वप्रथम सरकार की अपनी कार्य-विधि (style of functioning) आती है। सरकार को लोक व्यय संबंधी सुझावों (expenditure proposals) की रूपरेखा बनाने, उनको पारित कराने तथा उनके कार्यान्वयन में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। इस कारण लोक

Scanned by CamScanner

व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद इससे अपेक्षित हितों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त यदि कीमतें भी बढ़ रही हों तो लोक व्यय और भी बढ़ जाता है। ध्यानयोग्य है कि इस समस्या के समाधान हेतु दिए गए अनेक सुझावों की वास्तविक उपयोगिता अपेक्षा से कम रहती है। इसके अतिरिक्त बढ़ती की अदायगियों जैसे सरकार के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके बारे में यह कानूनी तौर पर बाध्य होती है तथा जिनमें कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. वैधता का सूत्र (Canon of Sanction) - इस सूत्र के अनुसार सार्वजनिक साधनों का व्यय यथाविधि वैधानिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतौर पर सर्वप्रथम प्रशासन सविस्तार व्यय सुझावों को विधान प्राधिकरण (legislative authority) से पारित कराता है तथा विस्तृत नियमों-अधिनियमों के अंतर्गत अधिकृत राशियों को खर्च करता है। लेखा-परीक्षण पद्धति (system of auditing) तथा विधायक-प्राधिकरण की परीक्षण समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार का अपव्यय न हो तथा कहीं भी व्यय संबंधी ~~नियमों~~ नियमों को न तोड़ा जाए।

3. हित का सूत्र (Canon of Benifit) - सार्वजनिक व्यय का अंतिम उद्देश्य समाज के निवल हित में वृद्धि करना है। इस हित के कई रूप हो सकते हैं: जिनमें आय तथा धन की वितरणीय असमानताओं में कमी, उत्पादन में वृद्धि, तथा लोगों के रहन-सहन में सुधार आदि शामिल हैं। अतः सार्वजनिक व्यय का मुख्य ध्येय यह होना चाहिए कि समाज को हर संभव प्रकार से हित प्राप्ति हो और इन सब हितों का जोड़ अधिकतम संभव हो। इस कार्य हेतु विभिन्न व्यय मदों के चयन तथा उनकी राशियों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।
हित के सूत्र और मितव्ययिता के सूत्र का परस्पर घना संबंध है। अपव्यय होने का अर्थ ही लोक व्यय से अपेक्षित हितों की वास्तविकता प्राप्ति का न होना है।

4. अधिशेष का सूत्र (Canon of Surplus) - इस सूत्र के अनुसार सरकार को ~~यथासंभव~~ यथासंभव घाटे के बजट से बचना चाहिए। इसका प्रयत्न यह होना चाहिए कि राजस्व खाते (revenue account) से समस्त चालू

Scanned by CamScanner

व्यय (current or revenue expenditure) को पूरा करने के पश्चात भी निवेश हेतु कुछ बच जाए। इस प्रकार सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि यथासंभव इसकी ऋण-देनदारियों में वृद्धि न हो।

प्रस्तावित ~~संशोधन~~ संशोधन (Suggested revision)- अधिकतर अर्थशास्त्री उपरोक्त सूत्र में संशोधन के पक्ष में हैं। उनके मतानुसार इस सूत्र का स्वयं में कोई सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक औचित्य नहीं है। बजटीय घाटे अथवा अधिशेष के औचित्य का होना अथवा न होना अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार के नीति उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इस कारण यदि अर्थव्यवस्था की व्यापार-चक्रों से रक्षा करने, इसके विकास में एक सक्रिय योगदान देने, तथा अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए आवश्यकतानुसार सरकार को बजटीय घाटे की नीति अपनाने को तत्पर रहना चाहिए। यह सुझाव अल्पविकसित देशों के लिए विशेषकर अर्थपूर्ण है। इन देशों में पूँजी का अभाव एक जटिल समस्या होती है जिसके निवारण में घाटे की बजटीय नीति सहायक हो सकती है। इसके अतिरिक्त राजस्व खाते में अधिशेष रखते हुए पूँजी खाते में घाटा के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार उधार लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के अतिरिक्त अन्य ऐसी निवेश मदों का वित्त-~~पोषण~~ पोषण कर सकती है जो समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हो। सारांश यह है कि सरकार के समक्ष कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें घाटे का बजट अपनाना अनिवार्य होने के साथ-साथ अति हितकारक भी हो सकता है।

Scanned by CamScanner